

(29)

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आपरा सं०/सम्बद्धता/

/2016-17 दिनांक: / ० नवम्बर 2016

कार्यालय झाप

आपरा सं० 2142/15 11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 22.09.2016 द्वारा शिक्षा संस्थान हाजी रशीदन बेगम एण्ड हाजी साहबजहाँ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, प्लॉट नं० 55 व 735 ग्राम गनेशपुर पो० दुण्डवारा, ज.पद-एटा को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय 110टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्यक्ता प्रदान की जाती है:-

- 1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा सन्तुष्टि पत्र के अन्वये मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- 2) बिना मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धोत्तरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- 3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य शर्तें भी मान्य, परीक्षा को समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- 5) सम्यक्ता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार विधिवत समिति-समय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। सकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं का अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- 6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ सांयुक्तिक रूप से उपलब्ध तथा अपेक्षित सूचनाओं का उत्तरेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- 7) प्रथमाल संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में ही गयी सार्वभूमि के आधार पर 110टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्यक्ता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्यक्ता नूति भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगा।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

आपरा सं० / सम्बद्धता / 21-231-38

/2016-17 तददिनांक

कार्यालय निम्नलिखित का सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, वैशिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, वैशिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, वैशिक, उ०प्र०, लखनऊ।
5. राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन । कम्प्लेक्स-11, एन०आई०सी० बिल्डिंग भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. सचिव, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, एटा।
7. परीक्षा नियामक प्राधिकारी हाजी रशीदन बेगम एण्ड हाजी साहबजहाँ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट, प्लॉट नं० 55 व 735, ग्राम गनेशपुर पो० दुण्डवारा, ज.पद-एटा।



श्रीमती 'नीना श्रीवास्तव'